न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 17/2017

1 सांवरा पुत्र अर्जुनलाल।
2 हरलाल पुत्र अर्जुनलाल।
3 बनवारीलाल पुत्र अर्जुनलाल समस्त जाति जाट निवासीगण तासर छोटी तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मनोहरलाल पुत्र छोटूराम जाति कुम्हार।
2 रणजीत सिंह (फौत) पुत्र बालसिंह जाति राजपूत।
2/1 किरण कंवर पत्नी रणजीत सिंह।
2/2 गजेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह।
2/3 विजय सिंह पुत्र रणजीत सिंह।
3 नेमीचन्द पुत्र जमना जाति बलाई।
4 रामकोरी पत्नी हणमान जाति बलाई।
5 गंगु पुत्र बालू जाति बलाई समस्त निवासीगण मौल्यासी तहसील धोद जिला सीकर।
6 तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी धोद जिला सीकर बउनवानी मनोहरलाल
बनाम सांवरा प्रकरण संख्या 32/2013 निर्णय्र दिनांक
31.01.2017

उपस्थिति :

1. श्री नानूराम, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 03.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2013 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक संख्या 1 खसरा नम्बर 474 रकबा 3.18 हैक्टेयर वाके ग्राम मौल्यासी तहसील धोद जिला सीकर के खातेदार है जिनकी कृषि भूमि में आवागमन हेतु स्थायी एवं कटाणी रास्ता नहीं है जिस कारण आवेदकगण को अपने खेत खसरा नम्बर 474 एवं 470 में आने के लिये खसरा नम्बर 463,471 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे दक्षिण में उत्तर की ओर एवं खसरा नम्बर 474 की दक्षिणी पश्चिमी कूंट में से 15 फिट चौड़ा रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। खसरा नम्बर 463 के खातेदार अनावेदक संख्या 4 ता 6 एवं खसरा नम्बर 471 के खातेदार अनावेदक संख्या 1 ता 3

राजस्व अधिकारी एव
... अपील अधिकारी
सीकर

है, आवेदकगण की कृषि भूमि में आवागमन के लिये किसी अन्य की खातेदारी की भूमि में से होकर आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है, का प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट/अनावेदक संख्या 1 ता 3 ने जवाब प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 473 की पूर्वी सींव के सहारे–सहारे मौका पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने एवं खसरा नम्बर 472 एवं 473 के पुराने खसरा नम्बर 377 एवं 378 के खातेदार सगे भाई होने एवं वैकल्पिक मार्ग मौजूद होते हुए अपीलांट के खेत में नया रास्ता कायम करवाना चाहते है इसलिए आवेदन खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट चाहने हेतु तहसीलदार धोद को निर्देशित किया गया जिस पर दिनांक 08.03.2013 को हल्का पटवारी ने रिपोर्ट पेश की गयी जो नियम 69 के विपरित होने पर अपीलांट द्वारा आपत्ति किये जाने पर निरस्त की गई। जिस पर पुन तहसीलदार धोद को पुन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया जिस पर दिनांक 21.03.2016 को पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की। जिसका दिनांक 22.11.2016 को जवाब आने पर दिनांक 09.12.2016 को केवल आपत्ति की बहस सुनी जाकर दिनांक 31.01.2017 को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का आवेदन स्वीकार कर अपीलांट की भूमि में से रास्ता कटान करने का आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेंट स्वंय ने उपस्थित होकर न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत किया, की रेस्पोडेंट संख्या 1 एव रणजीत पुत्र बालसिंह ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन बाबत चाहने रास्ता प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन को दिनांक 31.01.2017 को अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर ने स्वीकार कर खसरा नम्बर 471 रकबा 5.50 हैक्टेयर ग्राम मौल्यासी में से 0.07 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 470 रकबा 6.75 हैक्टेयर में से 5 गुणा 20 कुल 100 वर्गमीटर भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2016/353 दिनांकित 21.03.2016 के अनुसार निर्वापित करके रास्ता के रूप में दर्ज करने एवं 34,145/–रूपये अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को प्रतिकर के रूप में दिलाया जाने का आदेश पारित किया था। जिसकी पालना में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जरिये रसीद संख्या 31 दिनांक 27.02.2017 को तहसीलदार धोद के समक्ष उक्त 34,145 रूपये जमा करवा दिये। उसके पश्चात अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील प्रस्तुत कर दी। जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति स्थगित हो गयी। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/1,2/2,2/3 के मध्य राजीनामा को गया है मुताबिक राजीनामा अपीलांट संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 471 रकबा 5.05 हैक्टेयर में से पूर्वी सींव के सहारे–सहारे 0.07 हैक्टेयर रास्ते में निर्वापित करवाने में सहमत है इसके बदले रेस्पोडेंट संख्या 2/1 लगायत 2/3 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 470 की दक्षिणी सीमा के सहारे 0.07 हैक्टेयर भूमि अपीलांट को देने में सहमत है जिसकी उल्लेख फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 14.04.2013 में है एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 474 में से पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 0.07 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2/1 लगायत 2/3 को देना निश्चित हुआ है अर्थात भूमि के बदले भूमि दी जाती है एवं खसरा नम्बर 470 में दक्षिणी पूर्वी कूट में प्रस्तावित 0.01 हैक्टेयर भूमि रास्ता के लिए यथावत रूप से निवार्पित होनी है। जिसकी पूर्व में खातेदार रणजीत सिंह द्वारा सहमती दी हुई है। रास्ते में निवार्पित होने वाली भूमि के बदले भूमि देने में सहमत होने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार धोद के समक्ष जमा शुद्वा राशि 34,145 रूपये रेस्पोडेंट संख्या 1 को वापिस प्राप्त होनी हे एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2/1 लगायत 2/3 की खातेदारी में मुताबिक राजीनामा दर्ज होनी है। अत अपील स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा निर्णित करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 एव रणजीत पुत्र बालसिंह ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन बाबत चाहने रास्ता प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन को दिनांक 31.01.2017 को अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर ने स्वीकार कर खसरा नम्बर 471 रकबा 5.50 हैक्टेयर ग्राम मौल्यासी में से 0.07 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 470 रकबा 6.75 हैक्टेयर में से 5 गुणा 20 कुल 100 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार की रिपोर्ट कमांक राजस्व/2016/353 दिनांकित 21.03.2016 के अनुसार निर्वापित करके रास्ता के रूप में दर्ज करने एवं 34,145/–रूपये अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को प्रतिकर के रूप में दिलाया जाने का आदेश पारित किया था। जिसकी पालना में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जरिये रसीद संख्या 31 दिनांक 27.02.2017 को तहसीलदार धोद के समक्ष उक्त 34,145 रूपये जमा करवा दिये। उसके पश्चात अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील प्रस्तुत कर दी।

दौराने अपील अपीलांट सांवरा, हरलाल, बनवारी एवं रेस्पोडेंट मनोहर,किरण कंवर, विक्रम एंव गजेन्द्र सिंह ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारों ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया। पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई। पक्षकारों एवं उनके अधिवक्तागण के राजीनामा, राजीनामे की पुश्त पर एवं आदेशिका में हस्ताक्षर एवं अगुठा निशानी करवाये गये। राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। चूकि उभयपक्ष लोक अदालत की भावना से राजीनामे के आधार पर प्रकरण निर्णित करवाना चाहते है।

अत न्यायहित में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/1,2/2,2/3 के मध्य राजीनामा को गया है मुताबिक राजीनामा अपीलांट संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 471 रकबा 5.05 हैक्टेयर में से पूर्वी सींव के सहारे–सहारे 0.07 हैक्टेयर रास्ते में निर्वापित करवाने में सहमत है इसके बदले रेस्पोडेंट संख्या 2/1 लगायत 2/3 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 470 की दक्षिणी सीमा के सहारे 0.07 हैक्टेयर भूमि अपीलांट को देने में सहमत है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिसकी उल्लेख फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 14.04.2013 में है एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 474 में से पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 0.07 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2/1 लगायत 2/3 को देना निश्चित हुआ है अर्थात भूमि के बदले भूमि दी जाती है एवं खसरा नम्बर 470 में दक्षिणी पूर्वी कूट में प्रस्तावित 0.01 हैक्टेयर भूमि रास्ता के लिए यथावत रूप से निवार्पित होनी है। जिसकी पूर्व में खातेदार रणजीत सिंह द्वारा सहमती दी हुई है। रास्ते में निवार्पित होने वाली भूमि के बदले भूमि देने में सहमत होने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार धोद के समक्ष जमा शुद्वा राशि 34,145 रूपये रेस्पोडेंट संख्या 1 को वापिस प्राप्त होनी हे एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2/1 लगायत 2/3 की खातेदारी में मुताबिक राजीनामा दर्ज होनी है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें एवं तहसीलदार धोद के समक्ष जमा राशि रेस्पोडेंट संख्या 1 को लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर